

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रतिधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 551] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 6, 1983/अग्रहायण 15, 1905
No. 551] NEW DELHI, TUESDAY, DEC. 6, 1983/AGRAHAYANA 15, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
विकास आयुक्त का कार्यालय (औषधि)

आदेश

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1983

का० आ० 893(अ) :—केन्द्रीय सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955
(1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए
औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 का और संशोधन करने के लिए
निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम औषधि (मूल्य नियंत्रण) (छठे
संशोधन) आदेश, 1983 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवक्त होगा।

2. (1) औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 की द्वितीय अनुसूची में “VI एनटीव्याटिक्स” शीर्षक के नीचे क्रम संख्या 30 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“31—डिक्लोक्सेसिलिन”।

[संख्या 8(6) 82-डी-II]

ई० एन० मूर्ति, उप सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

Office of Development Commissioner (Drugs)

ORDER

New Delhi, the 6th December, 1983

S.O. 893(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Drugs (Prices Control) Order, 1979, namely :—

1. (1) This Order may be called The Drugs (Prices Control) (Sixth Amendment) Order, 1983.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. (1) In the Second Schedule to the Drugs (Prices Control) Order, 1979 under the heading ‘VI Antibiotics’, after serial number 30 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely :—

“31. Dicloxacillin”,

[No. 8(6)|82-D.II]

E. N. MURTHY, Dy. Secy.